फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री कन्हैयालाल पिता तुलसीराम गायरी निवासी लसड़ावन, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 135/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल का गिरफ्तारी वारण्ट पुनः अदम तामील प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 903 दिनांक 18.01.2021 से गैरसायल श्री कन्हैयालाल पिता तुलसीराम गायरी निवासी लसड़ावन थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत पेश किया गया। जिस पर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को दिनांक 03.02.2021 को सूचना पत्र जारी कर वास्ते तामीलन थानाधिकारी, थाना सदर, निम्बाहेड़ा को प्रेषित किये गये जो उनके द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2021 बाद तामील पेश किया। गैरसायल के सूचना पत्र तामील होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से पुनः पत्रांक 307 दिनांक 30.03.2021, 777 दिनांक 05.08.2021, 967 दिनांक 08.09.2021 एवं दिनांक 13.04.2022 से गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी कर तामीलन थानाधिकारी, सदर निम्बाहेड़ा को भिजवाने पर उनके द्वारा एक भी बार जमानती वारण्ट बाद/अदम तामील पुनः न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पश्चात् प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ से स्थानान्तरण होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी किया जाकर जरिये पत्रांक 19 दिनांक 01.02.2024, 252 दिनांक 03.07.2024, 356 दिनांक 22.08.2024 एवं 406 दिनांक 11.09.2024 से थानाधिकारी, थाना सदर निम्बाहेड़ा को गैरसायल से वारण्ट तामील करा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में भी एक बार भी जमानती वारण्ट बाद/अदम तामील पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः पत्रांक 511 दिनांक 29.11.2024 एवं 566 दिनांक 20.12.2024 से गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर तामीलन थानाधिकारी, सदर निम्बाहेड़ा को प्रेषित करने	.....लगातार

पर उनके द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट भी बाद/अदम तामील पुनः न्यायालय में पेश ही नहीं किये गये।

थानाधिकारी, थाना सदर निम्बाहेड़ा को गैरसायल से गिरफ्तारी वारण्ट तामील कराने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए जरिये पत्रांक 64 दिनांक 19.03.2025 (पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ को भी पृष्ठांकित की) से लिखे जाने पर उनके द्वारा मय मौतबिरान की टिप्पणी एवं मय ग्राम पंचायत लसड़ावन के प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति के गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील पेश किया कि कन्हैयालाल पिता तुलसीराम गायरी निवासी लसड़ावन इस नाम का कोई व्यक्ति गांव लसड़ावन में निवास नहीं करता है।

इस प्रकार इतने जमानती वारण्ट एवं गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने पर भी गैरसायल की उपस्थिति थानाधिकारी सदर निम्बाहेड़ा सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं जबकि उक्त नाम पते से उनके द्वारा ही यह इस्तगासा गैरसायल के विरूद्ध पेश किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैरसायल के धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरणों में सजायाब होने का उल्लेख है तथा अंतिम प्रकरण दिनांक 09.01.2020 को निर्णित होना अंकित है। इस तारीख के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण अंकित नहीं है। मुख्य रूप से जब गैरसायल थानाधिकारी, थाना सदर, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में यहां निवास नहीं कर रहा है। उसका कोई अता–पता ही नहीं चल पा रहा है जिसका सही पता मालूम ही नहीं है और वह सकूनत से बाहर चल रहा है और ना ही उसका वारण्ट पुलिस विभाग द्वारा लगभग पिछले 04 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी तामील कराया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार किए बिना इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 खारिज किया जाता है। यदि गैरसायल सकूनत पर वापस आवे और आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से लिप्त पाया जावे तो नियमानुसार नये सिरे से इस्तगासा पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official